

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,  
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

इलाहाबाद, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, चन्दौली, चित्रकूट, गाजीपुर,  
गोण्डा, झांसी, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, महोबा, महाराजगंज, मीरजापुर,  
पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, सीतापुर एवं वाराणसी।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 12 मई, 2017

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-17 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त कृषि फसलों के सापेक्ष कृषि निवेश  
अनुदान वितरित किये जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2016 की बाढ़ से प्रदेश के 31 जनपद प्रभावित हुये थे तथा 21 जनपदों द्वारा कृषि फसलों को हुई क्षति का विवरण प्रेषित किया गया था। जिलाधिकारीगण द्वारा बाढ़ मेमोरेण्डम-2016 में कृषि फसलों की क्षति हेतु मांगी गयी धनराशि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2017-18 में बाढ़ से प्रभावित कृषकों को कृषि निवेश अनुदान वितरित किये जाने के लिये निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ₹0 1,98,99,78,350/- (रुपये एक अरब अट्ठानवे करोड़ निन्यानवे लाख अठहत्तर हजार तीन सौ पचास मात्र) सम्बन्धित जिलाधिकारीगण के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

| Table-1                                                             |                           |                            |                                                       |                                                |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Agriculture Input Subsidy - for the Farmers having upto 2 hec. land |                           |                            |                                                       |                                                |
| (Rs. In Thousands)                                                  |                           |                            |                                                       |                                                |
| Sr. No.                                                             | Name of affected district | Total Demands of Districts | Amount Sanctioned by Govt against the demand (88.95%) | Proposed Amount to Sanction (100 % of Colum 4) |
| 1                                                                   | 2                         | 3                          | 4                                                     | 5                                              |
| 1                                                                   | Allahabad                 | 78687.90                   | 69992.89                                              | 69992.89                                       |
| 2                                                                   | Bahraich                  | 3659.22                    | 3254.87                                               | 3254.87                                        |
| 3                                                                   | Ballia                    | 92874.40                   | 82611.78                                              | 82611.78                                       |
| 4                                                                   | Balrampur                 | 78926.06                   | 70204.73                                              | 70204.73                                       |
| 5                                                                   | Banda                     | 35475.60                   | 31555.55                                              | 31555.55                                       |
| 6                                                                   | Barabanki                 | 14150.80                   | 12587.14                                              | 12587.14                                       |
| 7                                                                   | Chandauli                 | 138441.60                  | 123143.80                                             | 123143.80                                      |
| 8                                                                   | Chitrakoot                | 165320.90                  | 147052.94                                             | 147052.94                                      |
| 9                                                                   | Ghazipur                  | 291183.40                  | 259007.63                                             | 259007.63                                      |
| 10                                                                  | Gonda                     | 4484.47                    | 3988.94                                               | 3988.94                                        |
| 11                                                                  | Jhansi                    | 38661.58                   | 34389.48                                              | 34389.48                                       |
| 12                                                                  | Kaushambi                 | 6723.74                    | 5980.77                                               | 5980.77                                        |

| 13                                                                              | Lakhimpur Khiri           | 60554.61                  | 53863.33                                             | 53863.33                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 14                                                                              | Lalitpur                  | 16508.82                  | 14684.59                                             | 14684.59                                         |
| 15                                                                              | Mahoba                    | 449058.40                 | 399437.45                                            | 399437.45                                        |
| 16                                                                              | Mahrajganj                | 370.92                    | 329.93                                               | 329.93                                           |
| 17                                                                              | Mirzapur                  | 199984.00                 | 177885.77                                            | 177885.77                                        |
| 18                                                                              | Pilibhit                  | 1396.31                   | 1242.02                                              | 1242.02                                          |
| 19                                                                              | Sidharth Nagar            | 72.59                     | 64.57                                                | 64.57                                            |
| 20                                                                              | Sitapur                   | 30779.93                  | 27378.75                                             | 27378.75                                         |
| 21                                                                              | Varanasi                  | 89155.19                  | 79303.54                                             | 79303.54                                         |
| <b>G. Total</b>                                                                 |                           | <b>1796470.43</b>         | <b>1597960.45</b>                                    | <b>1597960.45</b>                                |
| <b>Agriculture Input Subsidy - for the Farmers having more than 2 hec. land</b> |                           |                           |                                                      |                                                  |
| <b>(Rs. In Thousands)</b>                                                       |                           |                           |                                                      |                                                  |
| Sr. No.                                                                         | Name of affected district | Total Demand of Districts | Amount Sanctioned by GoI against the demand (83.93%) | Proposed Amount to Sanction (76.5 % of Column 4) |
| 1                                                                               | 2                         | 3                         | 4                                                    | 5                                                |
| 1                                                                               | Allahabad                 | 21880.00                  | 18363.88                                             | 14048.37                                         |
| 2                                                                               | Ballia                    | 1122.00                   | 941.69                                               | 720.39                                           |
| 3                                                                               | Balrampur                 | 9489.19                   | 7964.28                                              | 6092.67                                          |
| 4                                                                               | Banda                     | 17353.60                  | 14564.88                                             | 11142.13                                         |
| 5                                                                               | Barabanki                 | 1621.47                   | 1360.90                                              | 1041.09                                          |
| 6                                                                               | Chandauli                 | 12982.50                  | 10896.21                                             | 8335.60                                          |
| 7                                                                               | Chitrakoot                | 93965.70                  | 78865.41                                             | 60332.04                                         |
| 8                                                                               | Ghazipur                  | 22644.40                  | 19005.44                                             | 14539.16                                         |
| 9                                                                               | Jhansi                    | 30246.40                  | 25385.80                                             | 19420.14                                         |
| 10                                                                              | Kaushambi                 | 1965.20                   | 1649.39                                              | 1261.78                                          |
| 11                                                                              | Lakhimpur Khiri           | 9621.00                   | 8074.91                                              | 6177.31                                          |
| 12                                                                              | Lalitpur                  | 16162.02                  | 13564.79                                             | 10377.06                                         |
| 13                                                                              | Mahoba                    | 320728.80                 | 269187.68                                            | 205928.58                                        |
| 14                                                                              | Mirzapur                  | 50419.30                  | 42316.92                                             | 32372.44                                         |
| 15                                                                              | Pilibhit                  | 144.38                    | 121.18                                               | 92.70                                            |
| 16                                                                              | Sitapur                   | 212.49                    | 178.34                                               | 136.43                                           |
| <b>G. Total</b>                                                                 |                           | <b>610558.45</b>          | <b>512441.70</b>                                     | <b>392017.90</b>                                 |

2- स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने को शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की बेवसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है ) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ई-पेमेंट के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

3- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-02-बाढ़ राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

4- जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जाय। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाय।

5- राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र संख्या-32-7/2014-एनडीएम-1, दिनांक 08.04.2015 में निर्धारित मानक/दरों के अनुसार किया जायेगा। कृषि निवेश अनुदान मद में जनपद को स्वीकृत धनराशि वितरण के पश्चात यदि कम पड़ती है तो जनपदों द्वारा वितरण की स्थिति का उल्लेख करते हुये अतिरिक्त धनराशि की मांग कर ली जायेगी।

6- राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

7- वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इसे पढ़कर सुनाया भी जाये।

8- निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

9- राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यू0पी0.एनआईसी0.इन पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय।

10- लाभार्थियों का विवरण राहत की वेबसाइट पर प्रत्येक दशा में अपलोड किया जाय। लाभार्थियों के आधार तथा बैंक खातों का विवरण प्रदर्शित न किये जाने के सम्बन्ध में नियोजन विभाग के पत्र संख्या-09/7-277/ज0नि0प्र0/2016, दिनांक 18.04.2016 जो अन्य अधिकारियों के अलावा आपको भी सम्बोधित है, में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

11- राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू0ओ0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2018 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

12- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

13 व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)

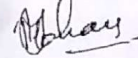
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या-596(1)/1-10-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र0 इलाहाबाद ।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, 30प्र0 लखनऊ ।
- 4- सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, 30प्र0।
- 6- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, स्वतंत्र प्रभार (श्री धर्म सिंह सैनी) आयुषः, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास विभाग, 30प्र0 शासन।
- 7- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, (श्री गिरीश चन्द्र यादव) नगर विकास तथा अभाव, सहायता एवं पुनर्वास विभाग, 30प्र0 शासन।
- 8- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत. यू0पी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु ।
- 9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
- 10- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 11- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,



( मदन मोहन )

उप सचिव ।